

कार्यालय
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001
CIN : U31200UP2003SGC027458
E-Mail id: secivilpvvn@gmail.com
☎ 09193330145



Office of the
Superintending Engineer
Electricity Civil Distribution Circle
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
Victoria Park Meerut-250001
CIN : U31200UP2003SGC027458
E-Mail id: secivilpvvn@gmail.com
☎ 09193330145
GST NO : 09AAECP5610N1Z4

डीजल चलित वाहन (चालक सहित) किराये पर रखने हेतु अन्य नियम व शर्तें

1. वाहन चालक सहित किराये पर लिया जायेगा एवं वाहन तथा चालक की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी। ड्राइवर की नाईट शिफ्ट का कोई भुगतान अलग से नहीं किया जायेगा। वाहन चालक को उचित मानदेय उपलब्ध कराना फर्म का दायित्व होगा।
2. ईंधन पर होने वाला व्यय निगम द्वारा वहन किया जायेगा।
3. गाड़ी खराब होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरी गाड़ी 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रू0. 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाड़ी उपलब्ध नहीं होगी) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
4. ड्राइवर की उपलब्धता 24 घण्टे रहेगी तथा ड्राइवर के अनुपस्थित होने की स्थिति में फर्म का दायित्व होगा कि दूसरे ड्राइवर को 02 घण्टे के अन्दर उपलब्ध करायेगी अन्यथा की स्थिति में फर्म पर रू0. 200.00 प्रति घण्टे की दर से पेनाल्टी (जिस अवधि में गाड़ी उपलब्ध नहीं होगी) फर्म के बीजक से काटी जायेगी तथा उस दिन के वाहन के किराये का भुगतान भी नहीं किया जायेगा।
5. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाला वाहन वर्ष 2020-21 (03 वर्ष) से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
6. गाड़ी की औसत 12 किमी० प्रति लीटर से कम नहीं होना चाहिए।
7. उपरोक्त दरों में जी.एस.टी. अलग से देय होगा।
8. वाहन उपरोक्त समय में कार्यालय परिसर अथवा अन्य निर्दिष्ट स्थान पर पार्क की जाएगी।
9. वाहन का रख-रखाव एवं लुब्रिकेन्ट आदि निविदित फर्म द्वारा वहन किया जायेगा। इसके लिए विभाग किसी भी प्रकार का खर्च नहीं करेगा।
10. अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य का मासिक बीजक प्रत्येक माह प्रस्तुत करना होगा, जिसका भुगतान विभागीय ई.आर.पी. प्रणाली के माध्यम से किया जाये।
11. ड्राइवर के उपलब्धता की पूरी जिम्मेदारी निविदित फर्म की होगी।
12. अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाने वाला वाहन मोटर वीकल्स एक्ट के अनुसार फिट होना चाहिए। वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन तथा अन्य दस्तावेज पूर्ण होना चाहिए।
13. वाहन के साथ उपलब्ध कराये जाने वाले ड्राइवर का प्रभावी अवधि का लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाईसेंस सम्बन्धी दस्तावेज पूर्ण होना चाहिए।
14. कार्य अवधि दिनांक 31.03.2025 तक होगी, जिसको कार्य की आवश्यकता के दृष्टिगत बढ़ाया या घटाया जा सकता है। कार्य सन्तोषजनक न होने की दशा में निर्गत अनुबन्ध कभी भी निरस्त किया जा सकता है।
15. उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के आदेश संख्या 1566 जी०ए०/रवि प्र०-12/97-5(2) जी०ए०/97 दिनांक 31.05.97 के द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन किराये पर रखे जाने वाले वाहन हेतु निविदाकार/फर्म द्वारा अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

15/06/25
(वी.पी. कौशल)
अधीक्षण अभियन्ता
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०
विक्टोरिया पार्क, मेरठ-250001
SAP ID-12000085